

स्थापना एवं भर्ती-II अनुभाग

सं.मानू/ई.आर-II-37/ई.एफ.114/2025-26/100

दिनांक: 25.04.2025

कार्यालय आदेश

विषय: विश्वविद्यालय द्वारा अल्पकालीन अनुबंधित एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ: दिनांक: 25.04.2025 को कुलपति द्वारा अनुमोदित।

<< : >>

मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा जारी दिनांक 28.03.2025 के आदेश के अनुसरण में, कुलपति महोदय की अनुमति से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों / अनुभाग/ केंद्रों/ संस्थानों / कॉलेजों/ स्कूलों/ कार्यालयों आदि में अल्पकालिक अनुबंधित तथा दैनिक दर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन में संशोधन किया गया। संशोधित वेतन निम्नानुसार होगा :

मानू कार्यालयों के स्थान	श्रेणी-I(अकुशल)	श्रेणी-II(अर्ध-कुशल)	श्रेणी-III(कुशल)	श्रेणी-IV (अत्यधिक कुशल)
ए-क्लास शहर (हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुम्बई एवं कोलकाता)	₹.523+282=805/- प्रति दिन या ₹.20125/- प्रति माह	₹.579+314=893/- प्रति दिन या ₹.22325/- प्रति माह	₹.637+344=981/- प्रति दिन या ₹.24525/- प्रति माह	₹.693+372=1065/- प्रति दिन या ₹.26625/- प्रति माह
बी-क्लास शहर (अमरावती, असनसोल, औरंगाबाद, भोपाल, कटक, जम्मू, लखनऊ, पटना, वाराणसी, रांची एवं श्रीनगर)	₹.437+237=674/- प्रति दिन या ₹.16850/- प्रति माह	₹.494+266=760/- प्रति दिन या ₹.19000 प्रति माह	₹.579+314=893/- प्रति दिन या ₹.22325/- प्रति माह	₹.637+344=981/- प्रति दिन या ₹.24525/- प्रति माह
सी-क्लास शहर (बीदर, बड़गाम, दरभंगा, कडप्पा, नूह एवं संभल)	₹. 350+191=541/- प्रति दिन या ₹.13525/- प्रति माह	₹.410+222=632/- प्रति दिन या ₹.15800/- प्रति माह	₹.494+266=760/- प्रति दिन या ₹.19000/- प्रति माह	₹.579+314=893/- प्रति दिन या ₹.22325/- प्रति माह

2. कर्मचारियों की नामावली, वर्गीकरण तथा इसमें निर्धारित अन्य नियम और शर्तें कार्यालय आदेश सं. MANUU/ER-II-37/EF.114/596 दिनांक 13.07.2018 उपरोक्त दैनिक वेतन के संशोधन को छोड़कर अपरिवर्तित रहेंगी।

3. यह आदेश दिनांक: 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होंगी।

कुलसचिव

प्रति :

1. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ ओएसडी-I/ओएसडी-II/परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
2. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष
3. सभी केंद्रों/कॉलेजों/स्कूल/पॉलीटेक्नीक/आईटीआई आदि के निदेशक/प्रधानाचार्य/ प्रभारी
4. निदेशक, सीआईटी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
5. हिन्दी अधिकारी(हिन्दी अनुवाद हेतु)
6. वित्त एवं लेखा अनुभाग
7. संबंधित फाइल